

5

5

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 833

परिशिष्ट "ब"

| उप पंजीयक कार्यालय का नाम | अवधि जब तक जानकारी प्रेषित की गई |
|---------------------------|----------------------------------|
| उज्जैन | माह मई, 2017 तक |
| बड़नगर | माह जून, 2017 तक |
| महिदपुर | माह मई, 2017 तक |
| नागदा | माह मई, 2016 तक |
| खाचरौद | माह मार्च, 2017 तक |
| तराना | माह जून, 2017 तक |
| घटिया | माह मार्च, 2017 तक |

11.3.17
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
इ.नं. 11/1/2017-1/अ.प.ला.

वरिष्ठ जिला पंजीयक,
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

(4) तहसीलदार हितबध्द व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

111. सिविल न्यायाधीशों की अधिकारिता.- सिविल न्यायलयों को, किसी भी ऐसे अधिकार से, जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता होगी जिसमें राज्य सरकार न हो।

112. अन्तरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना --- जब कोई ऐसी दस्तावेज, जिसके द्वारा किसी ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है, या जिसके कि संबंध में क्षेत्र पुस्तक तैयार की जा चुकी है, के संबंध में कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वाचित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का संख्यांक 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, उस क्षेत्र पर, जिसमें कि वह भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समयों पर, जैसा कि इस संहिता के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रज्ञापना भेजेगा।

113. लेखन सम्बन्धी गलतियों का शुद्धिकरण.- उपखंड अधिकारी; किसी भी समय, लेखन सम्बन्धी किन्हीं भी गलतियों को, तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को, जिनके कि सम्बन्ध में हितबध्द पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार-अभिलेख में हुई हैं, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा

114. भू अभिलेख.- नक्शे तथा भू अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त, प्रत्येक गांव के लिये खसरा या क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू-अभिलेख, जो कि विहित किये जायं, तैयार किये जायेंगे

114.क. भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका.- (1) ऐसे प्रत्येक भूमि स्वामी, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किये गये खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्ट है, के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह किसी ग्राम में के अपने समस्त खातों के बारे में एक भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका रखे जो ऐसी फीस के जैसी कि विहित की जाय, चुकाये जाने पर उसे दी जायगी

(2). भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के दो भाग होंगे, अर्थात् भाग-1 जिसमें खाते पर के अधिकारों तथा खाते पर के विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेंसेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग-2 जिसमें खाते पर के अधिकार, खाते के बाबत भू-राजस्व की वसूली तथा खाते पर के विल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगी:

(एक) खसरा या क्षेत्र पुस्तक की उन प्रविष्टियों में से, जो किसी भूमिस्वामी के किसी से सम्बन्धित हो, ऐसी प्रविष्टियाँ जो कि विहित की जायँ;

15/3/59
अबुभाम अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
बाणिज्यिक कर विभाग,
द्वाराहाय, तोपाल